`छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन-''बिहान''
दीनदयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)
परियोजना अनुमोदन समिति (PAC) की 35वीं बैठक दिनांक 13.01.2026

No. **GENCOR**/2206/2025-**SECTION CGSRLM**/**DDU-GKY**/35

-: कार्यवाही विवरण:-

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) अंतर्गत प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी (PAC) की 35वीं बैठक दिनांक 13.01.2026 को श्रीमती निहारिका बारिक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें समिति के सदस्य उपस्थित हुए | सूची परिशिष्ट-अ में संलग्न है।

<u>एजेण्डावार कार्यवाही विवरण निम्नानुसार हैः</u>-

<u>एजेंण्डा क्रमांक 01</u> – परियोजना अनुमोदन समिति की 34वीं बैठक दिनांक 01.12.2025 का पालन प्रतिवेदन-पालन प्रतिवेदन से समिति के सदस्यों को बिन्दुवार अवगत कराया गया। सभी सदस्य सहमत हुये।

<u>एजेंण्डा क्रमांक 02</u> – DDU-GKY 2.0 अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओ के निरस्तीकरण के संबंध में निर्णय:-

2.1 Bhilai Institute of Technology Trust - संस्थान द्वारा MoU के महत्वपूर्ण दस्तावेज समय-सीमा में जमा नही किया गया एवं कुछ दस्तावेजों (Board Resolution) को जमा करने में असमर्थता व्यक्त की गई। अतः समिति द्वारा संस्थान को आबंटित समस्त लक्ष्य 70 को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया|

2.2 Universal Ideal Sewa Samiti - संस्थान द्वारा स्वीकृत ट्रेड Field Technician Computing And Peripherals (ELE/Q4601) हेतु MoU निष्पादित नहीं की गई| अतः संस्थान को Field Technician Computing And Peripherals (ELE/Q4601) ट्रेड में आबंटित लक्ष्य 140 को निरस्त करने का निर्णय लिया गया|

2.3 Kumud Foundation – संस्था द्वारा DDU-GKY 2.0 अंतर्गत स्वीकृत परियोजना हेतु MoU निष्पादन संबंधी दस्तावेज जमा नहीं किये जाने एवं MoU निष्पादित नहीं किये जाने के कारण समिति द्वारा संस्थान को आबंटित समस्त लक्ष्य 140 को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया|

उक्त तीनों संस्थाओ को DDU-GKY 2.0 अंतर्गत लक्ष्य नहीं दिए जाने का निर्णय लिया गया|

<u>एजेंण्डा क्रमांक 03</u> – Bank Verification में प्राप्त Positive एवं Negative Remarks के प्रकरण के संबंध में निर्णय:-

3.1 सत्यापन में 100% सही पाए गए प्रकरणों पर निर्णय :- SOP के नियमानुसार किश्त भुगतान/क्लोजर की कार्यवाही संस्थित की जावे|

3.2 सत्यापन में 50% - 100% सही पाए गए प्रकरणों पर निर्णय :- भुगतान योग्य राशी में से अनुपातिक रूप से राशी घटाकर एवं नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कर मेजर पेनाल्टी अधिरोपित कर भुगतान/अंतिम समायोजन की कार्यवाही की जावे|

3.3 सत्यापन में 0-49% सही पाए गए प्रकरणों पर निर्णय :- मिशन संचालक द्वारा नियमानुसार PIA की व्यक्तिगत सुनवाई कर सम्पूर्ण कार्यवाही को 30 दिवस के भीतर पूर्ण कर संस्थाओ को Blacklist किया जावे|

3.4 ऐसे PIA जिनका बैंक से सत्यापन के संबंध में प्रत्युत्तर अप्राप्त है, उन बैंको के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रकरण Escalate किया जावे साथ ही राज्य स्तर पर संबंधित बैकों के प्रधान कार्यालयों को प्रतिलिपि देकर Follow-up हेतु संपर्क किया जावे|

एजेंण्डा क्रमांक 04 – नवीन स्वीकृत PIAs को शेष प्रशिक्षण प्रारंभ किये जाने की अनुमति के संबंध में निर्णय:-

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक J-17030/03/2016-DDU-GKY-PART-1 (383220) दिनांक 06.01.2026 के अनुसार प्रशिक्षण प्रारंभ करने की तिथि दिनांक 31.01.2026 एवं समाप्ति तिथि 30.04.2026 निर्धारित की गई है |

राज्य में DDU-GKY 2.0 अंतर्गत PIA को स्वीकृत Course की अवधि 3 माह से अधिक भी है, चूँकि प्रशिक्षण 30.04.2026 तक पूर्ण किया जाना है, अतः राज्य में DDU-GKY 2.0 अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओ को शेष लक्ष्य का प्रशिक्षण प्रारंभ किये जाने की अंतिम तिथि 31.12.2025 को संशोधित करते हुए दिनांक 20.01.2026 की तिथि तक के Data को Freeze किये जाने का निर्णय लिया गया|

एजेंण्डा क्रमांक 05 - अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मुद्दों पर चर्चा:-

प्रकरण - मिशन संचालक द्वारा समिति को अवगत कराया गया की DDU-GKY 1.0 अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की समाप्ति में यह संज्ञान में आया है की कुछ नियोजन PIA को स्वीकृत परियोजना अवधि के उपरांत के है अथवा स्वीकृत परियोजना अवधि के उपरांत पोर्टल में अद्यतन किये गए है| ऐसे प्रकरणों में PIA द्वारा उक्त नियोजन को मान्य किये जाने के निवेदन प्राप्त हो रहे है|

निर्णय- समिति द्वारा ऐसे प्रकरणों में SRLM स्तर पर PIA द्वारा मान्य किये जाने हेतु निवेदन किये गए कुल डाटा का 10% Sample Random आधार पर सत्यापित किया जावें| तदोपरांत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के साथ प्रकरण PIA wise आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे|

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

(अध्यक्ष, **PAC** द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by Ashwani Dewangan
Date: 18-01-2026 18:11:35

अश्वनी देवांगन (IAS)

मिशन संचालक, (सदस्य-सचिव)

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,

विकास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

परियोजना अनुमोदन समिति की 35 वीं बैठक दिनांक 13.01.2026 में

उपस्थित सदस्य

परिशिष्ट-अ

क्र.	नाम	पदनाम
1	श्रीमति निहारिका बारिक सिंह	अध्यक्ष/प्रमुख सचिव, पं.ग्रा.वि.वि, छत्तीसगढ़ शासन
2	श्री अश्वनी देवांगन (IAS)	सदस्य सचिव / मिशन संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
3	डॉ. ए. के. सिंह	अपर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
4	श्री अरविन्द कुमार अहिरवार	अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग